

PROFORMA

विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरण

1.	भवन का प्रकार	:	आवासीय
2.	मोहल्ला/ग्राम	:	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप (एलडिको सिटी) आई.आई. एम. रोड, लखनऊ
3.	वार्ड	:	
4.	सम्पत्ति का विवरण	:	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग (एल.आई.जी.) फ्लैट सं० एल-..... एलडिको सिटी, आई.आई.एम. , लखनऊ
5.	मापन की इकाई	:	वर्गमीटर में।
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	
7.	सड़क की स्थिति	:	
8.	अन्य विवरण	:	
9.	विक्रय मूल्य	:	
10.	मालियत	:	
11.	स्टाम्प	:	
1.	विक्रेता का विवरण	:	
2.	क्रेता का विवरण	:	

विक्रय विलेख

प्रस्तुत विक्रय विलेख एलडिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड आज दिनांकजो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित कम्पनी है, एवं जिसका पंजीकृत पता एलडिको कार्पोरेट चेम्बर-1, द्वितीय तल, विभूति खण्ड (निकट मण्डी परिषद) गोमती नगर, लखनऊ - 226010 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी (जिसे एतद् पश्चात् 'विक्रेता' सम्बोधित किया गया है तथा जिसमें निष्पादनकर्ता, प्रशासक, अधिकृत प्रतिनिधि, हस्तान्तरिती सम्मिलित माने जाएंगे)।

तथा

श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी/ निवासी
..... (जिन्हें एतद् पश्चात् 'क्रेता' सम्बोधित किया गया है तथा जिसमें निष्पादनकर्ता, उसके उत्तराधिकारी, हस्तान्तरिती, विधिक प्रतिनिधि, आदि सम्मिलित होंगे)।

विदित हो कि उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से अवासीय योजनाओं के विकास में निजी पूंजी निवेश आकर्षित/प्रोत्साहित करने हेतु इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति का निर्धारण किया गया था ताकि निजी क्षेत्र के विकासकर्ता इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का विकास/निर्माण सुचारु रूप से कर सकें एवं प्रदेश में भवन की मांग को भी पूरा किया जा सके। एलडिको सिटी लिमिटेड (ई.सी.एल.) (जिसको पूर्व में एलडिको सिटी प्रा० लिमिटेड "ई.सी.पी.एल." के रूप में जाना जाता था) इसने अपनी सहायक कम्पनियों के साथ मिलकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एल.डी.ए.) से लगभग 133.07 एकड़ भूमि पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत लाइसेन्स प्राप्त कर (लाइसेन्स नं० 900/VC/TC/2008 दिनांक 24.10.2008) आई.आई.एम. रोड पर एक इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण किया है। जिसे यहां पर "टाउनशिप" कहा गया है।

उपरोक्त इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति को समय-समय पर संशोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्टीग्रेटेड टाउनशिप में बनने वाले कुल भवनों में से 20 प्रतिशत भवन आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग (एल.आई.जी.) एवं अल्प आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) हेतु फ्लैट/भवन बनाया जाना अनिवार्य किया तथा उसका मूल्य नियंत्रण एवं आवंटन सरकार के पास सुरक्षित रखा है।

विक्रेता द्वारा टाउनशिप में उत्तर प्रदेश सरकार की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण किये हैं। विहित हो कि विक्रेता ने प्लॉट नं० GH-5 जिसका क्षेत्रफल 11606.00 वर्गमीटर पर बहुमंजिल इमारतें जिसका नाम "एलडिको सिटी सुकृति" (एल.आई.जी.) ("काम्प्लेक्स") का निर्माण किया है जिनका आवंटन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत किया गया है। विदित हो कि आर्थिक नीति के अनुसार अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) फ्लैट संख्या निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर, आच्छादित क्षेत्रफल वर्गमीटर, ब्लाक, फ्लोर, सेक्टर, (जिसे यहां पर

“फ्लैट” कहा गया है) एलडिको सिटी, आई.आई.एम. रोड, लखनऊ में आवंटित किया गया है, क्रेता द्वारा इस विक्रय विलेख के अन्त में दिये गये विवरण अनुसार फ्लैट का विक्रय मूल्य अदा कर दिया है।

विदित है कि कम्पनी लॉ ट्रिव्यूनल के आदेश दिनांक 27.03.2018 के अनुसार मेसर्स एलडिको सिटी लिमिटेड का विलय मेसर्स एलडिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में हो गया है। इस प्रकार एलडिको सिटी लिमिटेड “ई.सी.एल.” के सभी अधिकार, दायित्वों एवं शक्तियों की धारिता एलडिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज/विक्रेता के पक्ष में हो गये हैं। अतः ई.सी.एल. द्वारा आवंटित सम्पत्तियों का विक्रय विलेख एलडिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज/विक्रेता द्वारा किया जा रहा है। उक्त तथ्य की सूचना क्रेता को पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी प्राप्ति क्रेता द्वारा स्वीकार भी है।

विदित हो कि विक्रेता यह घोषित करता है कि वह उपरोक्त फ्लैट के हर प्रकार के भारों, वाद-विवाद यथा पूर्व विक्रय, हिबा आदि से मुक्त एवं पाक साफ है।

विदित हो कि क्रेता ने उपरोक्त फ्लैट के सम्बन्ध में विक्रेता के स्वामित्व आदि का भली-भांति जांच कर ली है तथा संतुष्ट होकर वह आवंटित उपरोक्त फ्लैट की गुणवत्ता का भली-भांति निरीक्षण कर उस पर विक्रेता के स्वामित्व एवं फ्लैट की गुणवत्ता आदि से पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर इस विक्रय विलेख का निष्पादन किया है।

अतः यह विक्रय विलेख साक्ष्य है कि :-

1. यह कि विक्रेता, ने क्रेता से अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) फ्लैट संख्या निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर, अनुपातिक भूमि क्षेत्रफल वर्गमीटर, ब्लाक, फ्लोर सेक्टर स्थित एलडिको सिटी, आई.आई.एम. रोड, लखनऊ (जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दी गई परिशिष्ट में दिया जा रहा है तथा ले-आउट प्लान संलग्न किया जा रहा है) का विक्रय मूल्य रू० (रू० मात्र) भुगतान विवरण अनुसार प्राप्त कर फ्लैट को क्रेता के पक्ष में अन्य शर्तों सहित इस शर्त के साथ विक्रय किया गया है कि क्रेता फ्लैट को आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि जो भी बाद में हो तक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय/ हस्तान्तरित नहीं करेगा।
2. यह कि इस विक्रय विलेख पर क्रेता के हस्ताक्षर के साथ-साथ फ्लैट का कब्जा प्रदान किया गया है तथा क्रेता फ्लैट से सम्बन्धित एरिया/डाइमेंन्सन/भवन की कीमत/अन्य चार्जेज/निर्माण गुणवत्ता/ स्पेसिफिकेशन्स विभिन्न संयोजन जैसे - विद्युतीय कार्य, सैनिटरी फिटिंग्स, जल, सीवर कनेक्शन आदि से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। क्रेता यह स्वीकार करता है कि फ्लैट के सम्बन्धित एरिया/डाइमेंन्सन/भवन की कीमत/अन्य चार्जेज/निर्माण गुणवत्ता/ स्पेसिफिकेशन्स/विभिन्न संयोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट है।
3. यह कि पंजीकरण पुस्तिका, आवंटन पत्र में अंकित नियम एवं शर्तें क्रेता पर हमेशा बाध्यकारी होंगी।
4. यह कि क्रेता द्वारा क्रय कि गया फ्लैट बहुमंजिला आवासीय इमारत में स्थित फ्लैट है जिस पर उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (प्रमोशन ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड मेन्टीनेन्स) एक्ट, 2010 के प्राविधान क्रेता पर पूर्ण रूप से बाध्यकारी होंगे। क्रेता द्वारा क्रय किये गये फ्लैट में उसके अधिकार उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अधीन होंगे।
5. यह कि क्रय किये गये फ्लैट में क्रेता द्वारा किसी प्रकार का बदलाव व अतिरिक्त निर्माण नहीं करेगा और न ही फर्श या छत को कोई नुकसान पहुंचाएगा। दो फ्लैटों की दीवार कामन दीवार है जिसमें आधा भाग क्रेता का है तथा शेष आधा भाग संलग्न फ्लैट के क्रेता का है। क्रेता तथा संलग्न फ्लैट के स्वामी दोनों को ही कामन दीवार को तोड़ने या क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं होगा एवं क्रेता फ्लैट का केवल आवासीय उपयोग ही करेगा।
6. यह कि विक्रय किये गये फ्लैट का उपयोग क्रेता उसी रूप में करेगा जिस रूप में फ्लैट का कब्जा क्रेता को दिया गया है। क्रेता कामन एरिया, सीढ़ियाँ, लॉबी एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग अन्य फ्लैट के स्वामियों या अध्यासियों की भांति कर सकेंगे, क्रेता, या किसी भी अन्य फ्लैट के स्वामी को कामन एरिया एवं अन्य सुविधाओं को अन्य क्रेताओं के साथ मात्र उपयोग का अधिकार होगा, स्वामित्व का अधिकार न होगा, कॉमन एरिया, सीढ़ियाँ, लॉबी या अन्य सुविधाओं का विभाजन नहीं किया जा सकेगा। यदि क्रेता द्वारा इस शर्त का किसी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो उस पर विक्रेता या काम्प्लेक्स की एसोसिएशन/मेन्टीनेन्स एजेन्सी द्वारा दण्ड आरोपित करने, दण्ड शुल्क वसूलने तथा आरोपित दण्ड के क्रियान्वयन करने का अधिकार होगा।

7. यह कि इस विक्रय विलेख का निष्पादन पक्षों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना हेतु जारी दिशानिर्देशों के क्रम में, बिना किसी दबाव के निम्न शर्तों के अनुसार किया जा रहा है तथा क्रेता पर उत्तर प्रदेश सरकार की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की शर्तें, पंजीकरण/आवंटन की शर्तें लागू होंगी तथा क्रेता काम्पलेक्स के अन्य भवन स्वामियों द्वारा गठित या गठित की जाने वाले एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करेगा तथा एसोसिएशन की उपविधियों, नियम आदि का क्रेता द्वारा अनुपालन किया जायेगा। वादित हो कि क्रेता टाउनशिप के अन्य भवन स्वामी द्वारा गठित की जाने वाली एसोसिएशन ग्रहण करेगा तथा टाउनशिप की एसोसिएशन के उपनियमों और उपविधियों, नियम आदि का अनुपालन करेगा।
8. यह कि क्रेता एवं काम्पलेक्स के अन्य फ्लैट के स्वामियों द्वारा सोसाइटी का गठन करना होगा, जिसमें प्रत्येक फ्लैट स्वामी आवश्यक रूप से सदस्य होगा, इस प्रकार गठित समिति पर ग्रुप हाउसिंग के फ्लैटों हेतु प्रदत्त मूलभूत सुविधायें (जल, मल निस्तारण एवं बिजली) तथा स्थित कामन उपयोग हेतु सुविधाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी होगी जिसके संचालन हेतु क्रेता द्वारा समानुपातिक राशि का भुगतान तथा अन्य विशेष व्यय की देयता समिति को होगी।
9. यह कि क्रेता काम्पलेक्स में मेन्टीनेन्स सुविधा प्राप्त करने के लिये विक्रेता या उसके द्वारा अधिकृत/नियुक्त किये गये मेन्टीनेन्स एजेन्सी के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया है। क्रेता मेन्टीनेन्स के समस्त नियम एवं शर्तों को स्वीकार करता है तथा विक्रेता/मेन्टीनेन्स एजेन्सी द्वारा समय-समय पर दिये गये डिमान्ड/बिल/चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। मेन्टीनेन्स डिमान्ड/बिल/ चार्ज का भुगतान न करने की स्थिति में विक्रेता/मेन्टीनेन्स एजेन्सी मेन्टीनेन्स अनुबन्ध पत्र के तहत उचित कार्यवाही करने के हकदार होंगे।
10. यह है कि सुरक्षा एवं रख-रखाव कर्मी काम्पलेक्स/टाउनशिप के मामलों के प्रबन्धन कार्यों के लिये होते हैं और काम्पलेक्स/टाउनशिप में आम क्षेत्रों और सुविधाओं के लिए स्थापित उपकरणों/प्लांट और मशीनरी की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए होते हैं। किसी भी स्थिति में विक्रेता/रख-रखाव एजेन्सी/सुरक्षाकर्मी क्रेता और क्रेता के यहाँ आने वाले आगन्तुकों की सम्पत्ति/सामान की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। क्रेता और उसके आगन्तुकों की सम्पत्ति/सामान की सुरक्षा की पूरा जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
11. यह कि क्रेता द्वारा उपयोग किये गये विद्युत व्यय या लगने वाले सरकारी कर, फीस या अन्य देयों के अदा करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। यदि किसी कारणवश क्रेता के पक्ष में किसी अवधि के विद्युत व्यय या बिल या किसी कर, फीस या अन्य सरकारी या अर्धसरकारी, स्थानीय निकाय आदि द्वारा वसूली विक्रेता से होती है तो उसकी मय हर्जे-खर्च से भरपाई करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
12. यह कि फ्लैट आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, के पश्चात् ही क्रेता विक्रय करने, मार्टगेज करने, पट्टा करने, उपहार करने, बदलने या उक्त फ्लैट के कब्जे के साथ अन्य भाग के रूप में किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकता है बशर्ते कि विक्रेता उक्त फ्लैट के विक्री/हस्तान्तरण के पहले विक्रेता/मेन्टीनेन्स एजेन्सी से मेन्टीनेन्स चार्ज/बकाया भुगतान आदि के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इस सम्बन्ध में क्रेता लागू प्रशासकीय चार्ज का भुगतान विक्रेता को करेगा। यदि उक्त फ्लैट किसी दशा में विक्रेता/मेन्टीनेन्स एजेन्सी से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बेचा/हस्तान्तरण किया जाता है तो मेन्टीनेन्स के मद में बकाया धनराशि का भुगतान हस्तान्तरी द्वारा देय होगा।
13. यह कि क्रेता स्वीकार करता है कि उक्त फ्लैट का आवंटन लीज होल्ड के आधार पर किया गया है तथा आवंटन की तिथि से 05 वर्ष अथवा देय लागत जमा करने की तिथि जो भी बाद में हो, तक उक्त फ्लैट के विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध रहेगा। 05 वर्ष के पश्चात् यह फ्री होल्ड माना जायेगा।
14. यह है कि क्रेता जब भी उक्त फ्लैट का किसी भी रूप में हस्तान्तरण करता है तो आवंटन की, मेन्टीनेन्स समझौता की, कब्जा अभिलेख और इस विक्रय विलेख के सभी नियम व शर्तें हस्तान्तरी पर लागू होंगी और वह उससे सम्बन्धित सभी चीजों का उत्तरदायी होगा।
15. यह कि क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह इस विक्रय विलेख के आधार पर सरकारी विभागों तथा लखनऊ नगर निगम, लखनऊ जल निगम, किसी सरकारी विभाग या स्थानीय निकाय आदि में अपना नाम अंकित करा लें।

16. यह है कि क्रेता का टाउनशिप में निर्मित सामुदायिक सुविधाओं, व्यवसायिक जगहों, स्कूल, "कैपिटल सिटी क्लब" आदि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा तथा विक्रेता उपरोक्त को जैसे उपयुक्त समझता है उनका निस्तारण/हस्तान्तरण/प्रबन्धन/क्रियान्वयन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा। क्रेता का सामुदायिक सुविधाओं, व्यवसायिक जगहों, स्कूल, कैपिटल सिटी क्लब आदि की बुकिंग/आवंटन/विक्रय पर तथा उनके प्रबन्धन व उनके क्रियान्वयन/निस्तान्तरण पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
17. यह है कि टाउनशिप के अन्दर बने क्लब का सम्पूर्ण अधिकार विक्रेता के पास ही निहित है। यह कि क्रेता 'काम्प्लेक्स के अन्दर स्थित "कैपिटल सिटी क्लब"/सामुदायिक सुविधाओं का उपयोग तभी प्राप्त कर सकता है जब वह उस क्लब की सदस्यता ग्रहण करें व उससे सम्बन्धित सदस्यता शुल्क एवं उपयोग प्रभारों का भुगतान करेगा। यह कि क्रेता/हस्तान्तरिती, विक्रेता द्वारा क्लब से जुड़ी समस्त नियम व शर्तों से अनुबन्धित होगा तथा उनका अनुपालन करेगा।
18. यह कि क्रेता इस विक्रय विलेख के निष्पादन की तिथि के पश्चात् फ्लैट तथा फ्लैट व उसके अन्दर रखे गये सभी सामान/सामग्री का बीमा अपने हर्जे-खर्चे पर करेगा।
19. यह कि क्रेता को, जिस भूमि पर फ्लैट निर्मित है उसमें उसके फ्लैट के अनुपात में समानुपातिक भूमि का संयुक्त अधिकार प्राप्त होगा। क्रेता को भूमि में प्राप्त अधिकार बटवारे का अधिकार नहीं होगा।
20. यह कि क्रेता उक्त फ्लैट से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तों का पालन अपने खर्चे पर करेगा। क्रेता कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, विस्फोटक तथा ज्वलनशील पदार्थ उक्त फ्लैट में नहीं रख सकता है। क्रेता सदैव विक्रेता या मेन्टीनेन्स एजेन्सी अथवा रेजीडेन्ट एसोसिएशन या सोसाइटी को उक्त फ्लैट से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सिविल या अपराधिक उत्तरदायित्वों से हानिरहित रखेगा।
21. यह कि क्रेता इस बात की घोषणा करता है कि वह उस स्थिति में जबकि विक्रेता को इस विक्रय विलेख के निष्पादन के उपरान्त किसी प्रकार की क्षति, दण्ड, टैक्स, हर्जाना, अतिरिक्त खर्च या क्षति पहुंचती है तो वह विक्रेता को इन सभी कारणों से क्षति रहित रखने हेतु वचन देता है।
22. (क) यह कि टाउनशिप में सभी सुविधाएं एवं सुख के साधन विभिन्न चरणों में पूरे किये जायेंगे। टाउनशिप का पूरा होना और इन सभी सुविधाओं और सुख साधनों का टाउनशिप के पूर्ण होने तक प्राविधानित होगा और हो सकता है कि ये सुविधाएँ आदि उक्त फ्लैट के कब्जा देने के समय फ्लैट/काम्प्लेक्स में उपलब्ध न हों इसलिए आवंटी इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा या विवाद नहीं करेगा।
- (ख) यह कि क्रेता काम्प्लेक्स में किसी भी स्थिति में स्वीकृत निर्माण या विकास किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। भविष्य में यदि काम्प्लेक्स में अतिरिक्त निर्माण की अनुज्ञा दी जाती है तो विक्रेता को अतिरिक्त निर्माण व विकास का नियम अनुसार पूर्ण अधिकार होगा इस प्रकार निर्मित व विकसित सम्पत्तियों को विक्रय करने का अधिकार विक्रेता को होगा।
- (ग) विक्रेता को अतिरिक्त निर्माण व विकास में उपलब्ध करायी गयी सेवाओं जैसे कि बिजली, पानी, सीवर, ड्रेनेज आदि सुविधाओं को पूर्व में स्थित सुविधाओं से जोड़े जाने का भी अधिकार होगा।
- (घ) क्रेता द्वारा सभी के उपयोग किये जाने वाले क्षेत्र, सीढियों आदि पर अतिक्रमण का अधिकार न होगा तथा उन सुविधाओं जिनके प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी उनका प्रयोग नहीं करेगा। बॉलकनी, कामन क्षेत्र जैसे कि बॉलकनी, कॉर्सीडोर, सीढियों इत्यादि पर किया गया अतिक्रमण अनाधिकृत होगा जिसको कि अतिक्रमणकर्ता के खर्चे पर विक्रेता या मेन्टीनेन्स एजेन्सी अथवा वहां के निवासियों द्वारा निर्मित संस्था को हटाये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।
23. यह कि एल.आई.जी. के सम्बन्ध में कोई भी नीति/निर्देशन/सरकारी आदेश क्रेता पर पूर्णतः लागू होगा तथा आवंटी द्वारा विक्रेता पर भी उक्त शासनादेश आदि पूर्णतः लागू होगा जिसके अनुपालन के लिए भविष्य के अन्तरिती भी पूर्णतः बाध्य होंगे।
24. यह कि उक्त सम्पत्ति का विक्रय मूल्य रु० है। उक्त फ्लैट फ्लोर पर स्थित है। उक्त फ्लैट का रकबा वर्गमीटर निर्मित है, जिसका बाजार मूल्य मुबलिंग रूपया प्रति वर्गमीटर की दर

से रूपया होता है इस प्रकार विक्रयशुदा प्लैट की अनुपातिक वर्गमीटर भूमि है, चूंकि गुप हाउसिंग मीटर चौड़ी सड़क व कार्नर पर स्थित है, जिसके अनुसार निर्धारित सर्किल रेट रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से मालियत होती है, इस प्रकार विक्रीत प्लैट की कुल मालियत रू0 होती है जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है। अतः मालियत पर 7 प्रतिशत की दर से रू0 का स्टाम्प शुल्क क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है।

25. यह कि विक्रय विलेख पर देय स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में किसी प्रकार की कमी-पेशी की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) प्लैट संख्या, निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर, ब्लाक, तल, सेक्टर स्थित एल्लिको सिटी, आई.आई.एम. रोड, लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :-

चौहद्दी

पूरव	:
पश्चिम	:
उत्तर	:
दक्षिण	:

भुगतान का विवरण

कुल विक्रय मूल्य रू0 /- (रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है।

अतः यह विक्रय विलेख विक्रेता एवं क्रेता ने भली-भांति पढ़कर व सोच समझकर बिना किसी भय, अनुचित दबाव एवं पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क से प्रसन्नचित्त मन से निम्न साक्षीगणों की उपस्थिति में अपने-अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ

दिनांक :

गवाहान :-

(विक्रेता)

1.

(क्रेता)

2.

टाईपकर्ता :-

मसविदाकर्ता :-